



75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

# केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority

G20  
भारत 2023 INDIA



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Women & Child Development, Government of India

विच्छिन्नता (Disruption)  
और विघटन (Dissolution)  
क्या है ?

देश में दत्तक-ग्रहण में विच्छिन्नता और विघटन की प्रक्रिया क्रमशः दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 14 (5) और 14 (6) में निर्दिष्ट है।

## प्रक्रिया ↓

# विच्छिन्नता और विघटन

**विच्छिन्नता (Disruption)** : इससे अभिप्रेत है कि विधिक प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, बच्चे और दत्तक-कुटुम्ब दोनों के स्थानन (Placement) के पश्चात एक-दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक-कुटुम्ब से बच्चे का अमेल होना। [विनियम 2(9)]

**विघटन (Dissolution)** : इससे अभिप्रेत है कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त होने के पश्चात, बच्चे और दत्तक-कुटुम्ब दोनों का एक-दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक-ग्रहण को विधिक रूप से निष्प्रभावी किया जाना। [विनियम 2(10)]

01

समायोजन न होने की स्थिति में, भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) / दत्तक माता-पिता (APs) आदतन निवास स्थान के संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) / विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) को रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही जिस विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) से बच्चे को दत्तक-पूर्ण पोषण देखरेख (PAFC) में लिया गया था, उसे भी सूचित किया जाएगा।

02

सूचना मिलने पर, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) और बच्चे (यदि बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक है) के लिए दो परामर्श सत्रों की व्यवस्था की जाएगी।

03

यदि परामर्श से सफलता नहीं मिलती है, तो बच्चे को उस दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) में वापस ले जाया जाएगा, जिसने मामले पर कार्रवाई की है। इसकी सूचना संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भी की जाएगी।

04

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समायोजन न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट को उस दत्तक-ग्रहण अभिकरण को भेजा जाएगा जिसने बच्चे को दत्तक-पूर्व पोषण देख-रेख (PAFC) में दिया था।

05

यदि आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष दाखिल किया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी और अभिकरण को पूर्व-सूचना के साथ इसे तुरंत वापस ले लिया जाएगा।

06

यदि दत्तक-ग्रहण का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है (विघटन / Dissolution), तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा उसे अनुसूची XXXIV के अनुसार निष्प्रभावी करने का आदेश जारी किया जाएगा।

07

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समायोजन न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट को उस दत्तक-ग्रहण अभिकरण को भेजा जाएगा जिसने बच्चे को दत्तक-पूर्व पोषण देख-रेख (PAFC) में दिया था।

## पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया

**विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) का स्तर** - विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा विच्छिन्नता / विघटन के लिए बच्चे के प्रोफाइल को तुरंत अपडेट किया जाता है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा विच्छिन्नता / विघटन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ भी अपलोड किए जाते हैं।

**जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) का स्तर** - जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा जानकारी के साथ-साथ अपलोड किए गए दस्तावेज़ को सत्यापित किया जाता है।

**राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) का स्तर** - राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) द्वारा प्रोफाइल को सत्यापित किया जाएगा और अपना अनुशंसा पत्र (recommendation letter) अपलोड किया जाएगा।

**केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का स्तर** - केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरे मामले का मूल्यांकन किया जाएगा।

**टिप्पणी** : यदि दत्तक माता-पिता विच्छिन्नता (Disruption) या विघटन (Dissolution) के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उन्हें दत्तक-ग्रहण से वजित कर दिया जाएगा।

\*यदि बच्चे में विशेष आवश्यकताएं पाई जाती हैं और भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहते, तो रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती।

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)



पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in



## WHAT IS DISRUPTION & DISSOLUTION?

The procedure of Disruption and Dissolution in In-country adoption is specified in the Regulation 14(5) & 14(6) of the Adoption Regulation 2022 respectively.

## PROCEDURE ↓

## DISRUPTION & DISSOLUTION

**Disruption:** It means the child being unmatched from the adoptive family due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other after placement, but prior to the completion of the legal process of adoption [Regulation 2(9)]

**Dissolution:** It means the annulment of the adoption legally, due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other, after the adoption order has been obtained from the DM [Regulation 2(10)].

- 01** In case of non-adjustment, PAPs/Adoptive Parents shall report to the DCPU/SAA concerned in the place of habitual residence and also intimate the Adoption Agency from where the child taken in PAFC.
- 02** Once intimated, DCPU/SAA shall arrange two counselling sessions of the PAPs and the child (in case the child is above 5 years) to explore the possibility of reconciliation.
- 03** In case the counselling is not successful, the child shall be taken back to the Adoption Agency which processed the case under intimation to DCPU and SAA concerned.
- 04** The DCPU/SAA shall forward the reports explaining the reason of non-adjustment to the Adoption Agency which placed the child in PAFC.
- 05** In case the application has been filed with the DM, it shall be withdrawn immediately with prior intimation from the concerned authorities/agencies.
- 06** If adoption order has already been issued (dissolution), DM shall issue an annulment order as per Schedule XXXIV.
- 07** The DCPU/SAA shall forward the reports explaining the reason of non-adjustment to the Adoption Agency which placed the child in PAFC.

## Online Process Enabled:

**SAA Level –**  
SAA shall immediately update the profile of the child for disruption/dissolution. SAA should also upload all the documents required for disruption/dissolution.

**DCPU Level –**  
DCPU shall verify the information as well as the documents uploaded.

**SARA Level –**  
SARA shall verify the profile and upload its recommendation letter

**CARA Level –**  
CARA shall make a final assessment before taking final decision.

**NOTE:** If the adoptive parents are found to be the cause of the disruption or dissolution, they shall be barred from the adoption.

\*Report is not required when the child is found to be having Special Needs and the PAPs do not want to continue.

**Designated Portal:** Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA : Central Adoption Resource Authority | DCPU : District Child Protection Unit  
SARA : State Adoption Resource Agency | SAA : Specialised Adoption Agency | DM : District Magistrate  
PAPs: Prospective Adoptive Parents | PAFC : Pre-Adoption Foster Care



पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>